

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्रा अधिसूचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

- क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत।

- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

अनुमति दी जाती है।

दिनांक :- 3/11/2022

स्थान :- कांकेर


(राजू अरविमनी)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वन, कांकेर